

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर,
बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा (देवीपाटन मण्डल) एवं बांदा (चित्रकूट मण्डल) (17 मण्डल)

पत्रांक / 007-मण्डल / 2683 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2017-18 लखनऊ:दिनांक: 08 मार्च, 2018

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या-08/2017/652/64-2-2017-1(01)/2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पारित आदेश संख्या-03/2018/29/64-2-2018-1(01)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त धनराशि ₹0 47.00 लाख को जोड़कर अन्तिम रूप से व्यवस्थित धनराशि ₹0 1872.39 लाख (₹0 अठठारह करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर उनतालिस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार **मण्डलीय कार्यालयों** को व्यय हेतु ₹0 12,64,126.00 (रुपया बारह लाख चौसठ हजार एक सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-03/ 2017/बी-1-248/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण- 001- निदेशन तथा प्रशासन-03- मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आबंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।
- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आबंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।
- 16- आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 49-चिकित्सा व्यय मद की धनराशि का आहरण वेतनादि (01,03,06) की मदों से अग्रिम आदेशों तक न किया जाय।
- 17- पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर के 50 प्रतिशत की धनराशि की मांग मानक मद "52-पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष" (राजकीय) में पृथक से की जाय तथा वेतनादि मदों से एरियर की धनराशि न आहरित की जाय।
- 18- जनपदों को आवंटित बजट से मण्डलों का तथा मण्डलों को आवंटित बजट से जनपदों का व्यय कदापि न किया जाय।
- 19- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 1- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 31.03.2018 तक।
 - 2- वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.03.2018 तक।
 प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।



(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक

पृ0सं0: 007-मण्डल / 2683 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2017-18 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन एवं चित्रकूट।


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-07/03/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

007-MANDAL

79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 10000 40000	0 19884	10000 60000	0 0	5000 25000	25000 50000	0 12000	45000 225000	21000 190500	0 80000	116000 702384
2	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 15000	5000 8000	0 50000	0 0	0 23000	0 25000	0 6000	42000 222000	21000 190500	0 80000	68000 619500
3	अलीगढ़-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 26700 36700	5366 8366	0 30000	0 0	0 13000	0 0	2160 15160	42000 222000	21000 190500	0 60000	97226 575726
4	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 10000	0 3000	0 30000	0 0	0 13000	0 0	0 8000	42000 272000	21000 190500	0 60000	63000 586500
5	बरेली-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 10000	0 3000	0 30000	0 0	0 13000	0 0	0 6000	42000 422000	21000 190500	0 60000	63000 734500
6	मुरादाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 80000	0 3000	0 70000	0 0	16000 70000	0 30000	0 24000	42000 247000	21000 190500	25000 110000	104000 824500
7	कानपुर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 30000	0 3000	0 40000	7900 7900	10000 38000	0 0	0 8000	42000 242000	21000 190500	10000 95000	90900 654400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
8	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	20000	83000
			35800	3000	40000	0	27000	0	20000	447000	210500	110000	893300
9	झाँसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	63000
			20000	3000	30000	0	13000	0	8000	347000	190500	60000	671500
10	बांदा -4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	21000
			10000	45250	30000	0	13000	0	12000	355000	190500	60000	715750
11	वाराणसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	63000
			20000	3000	50000	0	13000	0	8000	222000	190500	60000	566500
12	मिर्जापुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000	18000	0	0	0	0	0	42000	21000	0	91000
			26000	21000	40000	0	18000	20000	8000	397000	190500	60000	780500
13	बस्ती-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	63000
			20000	45250	30000	0	13000	0	8000	397000	190500	60000	763750
14	आजमगढ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	73000
			30000	3000	60000	0	13000	0	11000	422000	190500	90000	819500
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000	0	0	0	6000	0	0	42000	21000	0	79000
			50000	3000	60000	0	38000	40000	26000	242000	210500	105000	774500
16	फैजाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	63000
			10000	3000	30000	0	13000	0	6000	222000	190500	60000	534500
17	गोण्डा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0	0	0	0	0	0	0	42000	21000	0	63000
			10000	45250	30000	0	13000	0	8000	422000	190500	60000	778750
	योग	वर्तमान प्रगामी	66700	28366	10000	7900	37000	25000	2160	675000	357000	55000	1264126
			453500	223000	710000	7900	369000	165000	194160	5325000	3278500	1270000	11996060

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख चौसठ हजार एक सौ छब्बीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनीस लाख छियानवे हजार साठ


 (सुषमा रानी)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी